भाग एक : खण् ड चौदह

पशु अितचार अिधिनयम, 1871

(1871 का 1) िदनांक 13-1-1871

पशुओं के अितचार से सम् बिन्धत िविध को समेिकत और संशोिधत करने के िलये अिधनियम।

उद्दर्देय - यत: पशुओं द्वारा अितचार से सम् बन् ध िविध को समेिकत एवं संशोिधत करना समीचीन है, अत: एतद्द्वारा िनम् निलिखत रूप में यह अिधनियमित िकया गया है।

अध् याय 1 ू
ारिम्भक

धारा 1. नाम व िवः तार - यह अिधनियम पशु अितचार अिधनियम, 1871 कहा जायेगा।

(2) इसका िवः तार उन राज् य क्षेऽों के िसवाय जो 1956 के नवम् बर के ूथम िदन के ठीक पूवर् भाग "ख" राज् यों में (मध् य भारत तथा िसरोंज क्षेऽ छोड़कर) समािवं ट थे और ूे सीडेन् सी नगरों, या ऐसे ः थानीय क्षेऽों के िसवाय, िजन् हें राज् य सरकार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा समय-समय पर इसके पिरवतर्न से अपवितर्त करें, सम् पूणर् भारत पर है।

िटप् पणी - मध् य ूदेश िवः तार अिधनियम, 1958 (िवधान ब. 23, वषर् 1958) की धारा (3) उपधारा (1) में यह ूावधान िया गया है िक वे िवधान जो अनुसूची "अ" में विणर्त है तथा जो िविध महाकौशल क्षेऽ में लागू है तथा वे िनधार्िरत ितिथ से मध् यूदेश के सभी क्षेऽ मे लागू होंगे तथा पशु अितचार िनयम, 1871 अनुसूची "अ" में शािमल है अत: सम् पूणर् मध् य ूदेश में लाग है।

धारा 2. िविधयों का िनरसन - िनरिसत िविधयों के िनदेर्श िनरिसत िकये गये। िनरिसत अिधनियम (िवधान ब. 1, वषर् 1938) धारा 2 एवं अनुसूची।

धारा 3. िनवर्चन खंड - इस अिधनियम में पुिलस अिधकारी के अन् तगर्त "माम चौकीदार" भी है, पशु के अन् तगर्त हाथी, ऊँट, भैंसे, घोड़ी, खः सी, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ी, खच् चर, गधे, सुअर, मेढ़े, भेड़, भैंस, मेमने, बिकरयाँ तथा बिकरयों के बच् चे भी हैं।

"ः थानीय अिधकारी" से ऐसे व् यिक्तयों का िनकाय अिभूेत है जो िकसी िविनिदर्ं ट ः थानीय क्षेऽ के भीतर िकन् हीं मामलों में िनयंऽण और ूशासन से िविध द्वारा तत् समय िविनिहत है, और

"ः थानीय िनिध" से िकसी ः थानीय ूािधकारी के िनयंऽण या ूबन् ध अधीन कोई िनिध अिभूेत है।

अध् याय 2
कांजीहौस और कांजीहौस के रखवाले

धारा 4. कांजीहौस की ः थापना - कांजीहौस ऐसे ः थानों पर ः थािपत िकये जायेंगे िजनके बारे में िजला दंडािधकारी, राज् य सरकार के साधारण िनयंऽण के अध् यधीन, समय-समय पर िनदेर्श दे।

इस बात का अवधारण िक ूत् येक कांजीहौस िकस माम द्वारा ूयुक् त िकया जाएगा, िजला मिजः शेट द्वारा िकया जाएगा।

धारा 5. कांजीहौस का िनयंऽण, पिरबद्ध पशुओं की िखलाने के िलये ूभारों की दरें - कांजीहौस िजला मिजः शेट के िनयंऽण के अधीन होंगे और पिरबद्ध पशुओं को िखलाने और िपलाने के िलये ूभारों की दरों को िनयत करेगा और समय-समय पर पिरवतर्न कर सकेंगे।

धारा 6. कांजीहौस रखवालों की िनयुिक्त - राज् य सरकार ूत् येक कांजीहौस के िलये एक कांजीहौस रखवाला िनयुक् त करेगी।

(2) कोई कांजीहौस रखवाला, एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन् य पद धारण कर सकेगा।

(3) ूत् येक कांजीहौस रखवाला भ. द. स. (1860 का 45) के अथर् में लोक सेवक समझा जायेगा।

कांजीहौस रखवालों के कत् तर्व् य

धारा 7. पंिजयां रखना व िववरिणयाँ देना - ूत् येक कांजीहौस रखवाला ऐसी पंजी रखेगा और ऐसी िववरिणयां देगा जैसी राज् य शासन समय-समय पर िविनिदर्ं ट करे।

धारा 8. अिभमहणों को पंजी करना - जब पशु कांजीहौस में लाये जावें तक कांजीहौस रखवाला अपने रिजः टर में िनम् निलिखत ूिविष्ट करेगा :

(क) लाये पशुओं की संख् या और वणर्न,
(ख) वह िदन और समय जब वे वहाँ लाये गये,
(ग)अिधमहण करने वाले का नाम और िनवास ः थान तथा
(घ)ः वामी का, यिद ज्ञात हो, नाम व िनवास ः थान तथा अिभमहण करने वाले या उसके अिभकतार् को ूिविष्ट की एक ूित देगा।

धारा 9. पशुओं का भार महण करना और उन् हें िखलाना - कांजीहौस रखवाला पशुओं का तब तक िक उनका इसमें इसके पँ चात् िनिदर् ट रूप में व् ययन नहीं कर िदया जाता, भार महण करेगा, उन् हें िखलायेगा और िपलायेगा।

अध् याय 3

पशुओं को पिरबद्ध करना

धारा 10. अ निधकार भूिम ृवेश तथा क्षित पहुँचाने वाले पशु को पकड़ना - िकसी भूिम का ः वामी या कब् जेदार या कोई व् यिक्त जो भूिम पर िहत रखता हो, ऐसे पशु को पकड़ सकता है या पकड़वा सकता है जो ऐसी भूिम पर अनिधकृत रूप से ृवेश करे या क्षित पहुंचावे अथवा ऐसी फसल, उपज या सम् पित्त जो ऐसे व् यिक्त के ः वािमत् व, कब् जे या िहत रखने वाले व् यिक्त को आघात पहुँचावे या रूकावट डाले, या कोई अन् य व् यिक्त जो आज्ञा या अनुज्ञिप्त से उपिःथत रहे या उसके ृभार में रहे, तथा ऐसे पशु, ऐसी भूिम, अन् य फसल उपज या सम् पित्त पर क्षित पहुँचाए तो ऐसे पशु को 24 घण् टे के अन् दर, िजस माम में वह भूिम िःथत हो, उस माम के िलये ः थािपत कांजीहौस में ः वयं भेज दे या िकसी के माध् यम से िजभवायें।

सभी पुिलस अिधकारी को आवँ यक पड़ने पर सहायता करनी होगी जब -

(क) ऐसा पकड़ने में मुकाबला हो,

(ख) ऐसी पकड़ करने वाले व् यिक्तयों से पशुओं को छुड़ाने के ृितरोध में सहायता आवँ यक जो हो।

धारा 11. सावर्जिनक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुँचाने वाले पशु - सावर्जिनक सड़कों, आमोद-ृमोद ः थलों, बागानों, नहरों, जल िनकाय संकमोर्ं, बांधों आिद के भार साधन व् यिक्त (ः थानीय शासन के अिधकारी एवं कमर्चारी) और पुिलस अिधकारी, ऐसी सड़कों, ः थलों, बागानों, नहरों, जल िनकाय संकमोर्ं या बांधों के पाँ वोर्ं या ढलानों के नुकसान पहुँचाने वाले या वहाँ भटकते हुए पाये गये िकन् हीं पशुओं को अिभमहीत कर सकेंगे या अिभमिहत करा सकेंगे और उनको चौबीस घण् टों के अन् दर िनकटतम कांजीहौस को भेजेंगे या िभजवायेंगे।

धारा 12. पिरबद्ध पशुओं के जुमार्ने - पुवोर्क् त रूप से पिरबद्ध ृत् येक पशु के िलये कांजीहौस रखवाला ऐसा जुमार्ना उद्ग्रहीत करेगा जो शासकीय राजपऽ में अिधसूचना द्वारा इस िनिमत् त राज् य सरकार द्वारा तत् समय के िलये िविहत मान से हो। िविभन् न क्षेऽों के िलये िविभन् न मान िविहत िकये जा सकेंगे।

ऐसे उद्ग्रहीत सब जुमार्ने, ऐसे अिधकारी का माफर्त िजसे राज् य सरकार िनिदर् ट करे, िजला मिजःशेट को भेजे जावेंगे।

पशुओं के जुमार्ने, तथा दाना-पानी की िनयम दरें की सूची ृत् येक कांजीहौस पर या उनके िनकट िकसी संलआ य ः थान पर लगा दी जायेगी।

धारा 12. (अ) बन् द िकये पशु के िलए अमानत - िकसी भी ः थानीय क्षेऽ में िजस क्षेऽ में राज् य शासन अिधसूचना द्वारा इस धारा को ृवृत् त करें, ृत् येक कांजीहौस रक्षक, बन् दी पशुओं को छोड़ने के पिहले, पशु के ः वामी या अिभकत् तार् को राज् य शासन द्वारा िनधार्िरत ृपऽ में ऐसे पशु के ः वामी की घोषणा तथा ऐसी रािश अमानत के रूप में जो राज् य शासन िनयम द्वारा िनयत करे, जमा कराएगा। िविभन् न ृकार के दर िविभन् न क्षेऽों के िलये तथा िविभन् न वगोर्ं के पशुओं के िलये िनधार्िरत की जा सकेगी।

यिद ऐसे उपरोक् त पशु के ः वामी द्वारा अमानती रािश के जमा करने के 6 माह की भीतर, यिद पशु का पकड़ा जाना अवैधािनक करार न िदया गया हो तो अमानती रािश या उसका भाग, जैसे िक राज् य शासन ने इस सम् बन् ध में िनयम बनाये हों, के अधीन शासन में राजसात् हो जायेंगे।

यिद ऐसे ः वामी के पशु उपरोक् त रीित से बन् द नहीं िकये गये हों तो अमानती जमा करने वाले या उसकी ओर से जमा करने वाले अन् य व् यिक्त इस सम् बन् ध में आवेदन पऽ िनधार्िरत कालाविध में देकर वापस ले सकते हैं।

त् येक अवसर पर नवीन अमानत रािश पशु छोड़ने के िलए जमा करना होगा जब यह िविध लागू है।

धारा 12. (ब) ऐसे पशु जो ः वभावत: भटकने के िलए छोड़ िदये जाते हैं उनके िलये िवशेष ृावधान -

(1)यिद िजले के मिजःशेट या ः थानीय ः वशासन के ृित वेदन से राज् य शासन को यह ृतीत होता है िक उनके क्षेऽ में ऐसे भटके हुए पशुओं के कारण, फसल, उपज या िकसी सम् पित्त को अत् यिधक क्षित हो रही है तो राज् य शासन अिधसूचना द्वारा, इस धारा का ृावधान ऐसे क्षेऽ में सामान् यत: या ऐसे पशु के ृकार या ऐसे वगर् के पशु के िलये, जैसा िविनिदर् ट हो, ृ वृत् त कर सकता है।

(2)सभी पशु रक्षक या ः वामी िजनके सम् बन् ध में उपधारा (1) के ृावधान आवृत् त िकये हैं, अपने पशु को, सूयार्ः त तथा सूयोर्दय के एक घण् टे के बाद की अविध के दौरान पकड़कर घर में रखेगा या बन् द रखेगा।

(3)िकन् हीं व् यिक्त के िलये यह वैधािनक होगा िक वह ऐसे भटके हुए पशुओं को ऐसे क्षेऽ में पकड़ सकेगा तथा उसे तुरन् त िनकटतम कांजीहौस में भेजेगा। पुिलस के सभी अिधकारी आवँ यकता पड़ने पर ऐसी पकड़ का मुकाबला करने तथा ऐसी पकड़ करने वाले व् यिक्तयों से पशुओं को छुड़ाने के ृितरोध में सहायता करेगा।

(4)

कोई जुमार्ना जो इस धारा के अन् तगर्त लगाये गये हों, वे िवधान की दूसरी वसूली की रीित को ृभािवत िकये िबना पूरे पशु या अन् य पशुओं िजसके सम् बन् ध में अपराध घिटत िकया गया हो, बेचने के पँ चात् वसूल होगा।

ः पं टीकरण - इस धारा के ूयोजन हेतु -

(1) "बन् द कर रखने" का तात् पयर् पशु को ूभावशाली ढंग से िकसी रूंधान दीवाल या परकोटे के भीतर रखना होगा।

(2) "पकड़कर रखने" का तात् पयर् पशु को ूभावशाली ढंग से िकसी रः सी या अन् य से कस कर बांधने से होगा।

अध् याय 4
पशुओं की सुपुदर्गी (पिरदान) या िवबय

धारा 13. जब ः वामी पशुओं का दावा करता है और ूभारों का संदाय करता है तब ूिबया - यिद पिरबद्ध पशुओं का ः वामी या उसका अिभ कतार् उपिःथत हो और पशुओं का दावा करे तो कांजीहौस रखवाला, ऐसे पशुओं की बावत उपगत ूभारों और जुमार्ने के तथा अमानती रािश जैसी धारा 12-अ में िनधार्िरत की हो के संदाय या उसे उनका पिरदान कर देगा।

ः वामी या उसके अिभकतार्, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजीहौस रखवाले द्वारा रखे गये रिजः टर में उनके िलये पावती हः ताक्षिरत करेगा।

धारा 14. यिद पशुओं के िलये, सप् ताह तक दावा न िकया जाये तो ूिबया - यिद पशुओं के बारे में दावा, उनके पिरबद्ध िकये जाने की तारीख से सात िदन के अन् दर न िकया गया तो कांजीहौस रखवाला उस बात की िरपोटर् िनकटतम पुिलस थाने के भार-साधक अिधकारी को या, ऐसे अन् य अिधकारी को करेगा िजसे िजला मिजःशेट इस िनिमत् त िनयुक् त करे।

ऐसा अिधकारी तब अपने कायार्लय के सहज दृँय भाग में एक सूचना लगाएगा िजसमें िनम् न कथन होगा -

(क) पशुओं की संख् या व वणर्न

(ख) वह ः थान जहाँ अिभमहीत िकए गये थे,

(ग)वह ः थान जहाँ वे पिरबद्ध िकये गये हैं और डोंडी िपटवाकर उसकी उद्घघोषणा अिभमहण के ः थान के िनकटतक माम व बाजार ः थल में कराएगा।

यिद पशुओं का दावा, सूचना की तारीख से सात िदन के अन् दर न िकया जावे तो उक् त अिधकारी या उस ूयोजन के िलये ूितिनयुक् त उसकी ः थापन के िकसी अिधकारी द्वारा, ऐसे ः थान व समय पर, ऐसी शतोर्ं के अध् यधीन जो िजला दण् डािधकारी साधारण या िवशेष आदेश द्वारा समय-समय पर िनिदर्ं ट करे, उनका सावर्जिनक नीलाम द्वारा िवबय कर िदया जायेगा। परन् तु यिद िजला दण् डािधकारी की राय हो िक िकन् हीं ऐसे पशुओं का पूवोर्क् त रूप से िवबय िकये जाने पर उिचत कीमत िमलना संभव नहीं है तो उनका व् ययन ऐसी रीित से िकया जा सकेगा िजसे वह ठीक समझे :

परन् तु िजला मिजःशेट या इसके सम् बन् ध में जो अिधकारी उनके द्वारा ूािधकृत िकए गए हों, इनमें पूवर् में कोई बात अन् तिवर्ं ट के होने पर भी अशक् त तथा लूले-लंगड़े पशु, सुअर, गधे को उनके बंद होने के पांच िदन के भीतर िबना सूचना जारी या इँ तहार के बेच सकते हैं।

परन् तु यिद कोई व् यिक्त, इस धारा के अन् तगर्त बेचे जाने वाले पशु को यथोिचत मूल् य देने के िलये तैयार न हो तो िजला दण् डािधकारी या उसके द्वारा ूािधकृत िकया अन् य अिधकारी, सुअर और गदहों को धारा 32 के अन् तगर्त बनाये िनयम के अन् तगर्त नं ट कर सकते हैं।

धारा 15. अिभमहण की वैधता पर िववाद उठाने वाले िकन् तु िनक्षेप करने वाले ः वामी को पिरदान - यिद ः वामी या ूितिनिध उपिःथत होता है इस आधार पर िक पकड़ अवैधािनक है, जुमार्ने और खचर् की रािश पटाने के िलए तथा घोषणा देने से अः वीकार करता है तथा ः वामी धारा 20 के अन् तगर्त आरोप ूः तुत करने वाला है तब जुमार्ने तथा ऐसे पशु के सम् बन् ध में िकये गये खचेर् की रकम तथा अमानती रािश पटाये जाने पर धारा '12 अ' में आवँ यक घोषणा देने के पँ चात् पशु उसके सुपुदर् िकये जा सकेंगे।

धारा 16. जब ः वामी जुमार्ने और व् ययों का संदाय करने से इन् कार करता है तब ूिबया - यिद ः वामी या उसका ूितिनिध उपिःथत होता है तथा किथत जुमार्ने, खचार् या अमानती रािश जमा करने से अः वीकार करता है या नहीं देता है या जमा नहीं करता है या धारा 12 "अ" में आवँ यक घोषणा नहीं देता है तो उस दशा में उक् त पशु या उसमं से इतने पशु िजतने िक आवँ यक हों, ऐसे पदािधकारी द्वारा, ऐसे ः थान पर तथा समय में धारा 14 में उल् लेिखत शतोर्ं के अधीन या उपरोक् त बताये ूावधान के अनुसार िवबय िकये जायेंगे तथा लागू करने योग् य जुमार्ने तथा दाना-पानी पर िकया खचर्, उस खचर् सिहत जो िवबय पर िकया गया हो, तथा धारा 12-अ पर िनधार्िरत अमानती रािश िवबय से उपलब् ध रािश से काट िलए जायेंगे।

(मध् यूदेश िवधान ब. 27 वषर् 1949 तथा 23 वषर् 1950 द्वारा संशोिधत)

धारा 17. जुमार्नों, व् ययों और िवबय के आगमों के अिधशेष रािश का व् ययन - वह अिधकारी िजसके द्वारा िवबय िकया गया हो,

धारा 16 के अधीन काटे गये िखलाने-िपलाने का ूभार कांजीहौस रखवाले को संदत् त िकया जावेगा जो धारा 13 के अधीन ऐसे ूभारों को अपने द्वारा ूाप् त सब रािशयों को भी ूितधािरत और िविनयोिजत करेगा।

अमानती रकम का रािश जो धारा 12-अ के अधीन आवँ यक है, वह कांजीहौस रखवाले के पास जमा रहेगी।

पशुओं के िवबय के आगमों से अिधशेष रािश, िजसका दावा न िकया गया हो, िजला मिजःशेट को भेजे जायेंगे जो उन् हें तीन मास के िलये िनक्षेप (Revenue Deposit) के रूप में रखेगा और यिद उस कालाविध के भीतर उस रािश के िलए दावा न िकया गया और यह न िसद्ध हुआ तो उसकी समािप्त पर यह समझा जावेगा िक वह राज् य के राजः वों के रूप में रखे हुए हैं।

धारा 18. जुमार्ने तथा िबबी द्वारा उपलब् ध ऐसी रािश का उपयोग िजनका कोई दावेदार न हो - भारत सरकार आदेश 1937 द्वारा िनरिसत।

धारा 19. अिधनियम के अधीन िवबयों में अिधकािरयों और कांजीहौस रखवालों का पशुओं का बय न िकया जाना - कोई भी पुिलस अिधकारी, या अन् य अिधकारी, या कांजीहौस रखवाला, जो इसमें अन् तिवर् ट उपबन् धों के अधीन िनयुक् त हो, इस अिधनियम के अधीन िवबय िकसी पशु का ूत् यक्ष या परोक्ष रूप से बय नहीं करेगा।

कोई भी कांजीहौस रखवाला िकसी पिरबद्ध पशु की िनमुर्िक्त (Release) या पिरदान (Delivery) इस अध् ययन के पूवर्वतीर् भाग के अनुसार करने के अन् यथा तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसी िनमुिक्त या पिरदान मिजःशेट या व् यवहार न् यायालय द्वारा आदेिशत न हो।

अध् याय 5
अवैध अिधमहण या िवरोध के पिरवाद

धारा 20. पिरवाद करने की शिक्त - कोई व् यिक्त, िजसके पशु इस अिधनियम के अधीन अिभमिहत िकये हैं, ऐसे अिभमहीत िकये जाने पर, इस अिधनियम के उल् लंघन के िवरूद्ध िकए जाने की तारीख से, 10 िदन के भीतर िकसी समय िजला दण् डािधकारी अथवा िजला मिजःशेट द्वारा िनदेर्श के िबना महण और िवचारण करने के िलए ूािधकृत िकसी मिजःशेट को पिरवाद कर सकेगा।

धारा 21. पिरवाद पर ूिबया - पिरवाद ः वत: पिरवादी द्वारा या पिरिःथितयों से वैयिक्तक रूप से पिरिचत िकसी अिभकतार् द्वारा िकया जा सकेगा। यह िलिखत या मौिखक हो सकता है। यिद वह मौिखक हो तो उसका सार मिजःशेट द्वारा िलख िलया जायेगा।

यिद पिरवादी या उसके अिभकतार् के परीक्षण पर मिजःशेट को यह िवँ वास करने का कारण है िक पिरवाद सुआधािरत है तो वह उस व् यिक्त को समन करेगा िजसके िखलाफ पिरवाद िकया गया हो और मामले की जांच करेगा।

धारा 22. अवैध अिभमहण या िनरोध के िलये ूितकर - यिद अिभमहण या िनरोध, अवैध न् याय िनणीर्त िकया जाये, तो मिजःशेट अिभमहण या िनरोध से हुइर् हािन के िलये एक सौ रूपये से अनिधक रािश का युिक्तयुक् त ूितकार पिरवादी को िदलावेगा तथा यिद पशुओं का िनमोर्चन पिरवादी न कराया है तो पशुओं का िनमोर्चन उपाप् त करने में पिरवादी द्वारा संदत् त सब जुमार्ने या उपगत व् ययों सिहत रािश उस व् यिक्त द्वारा संदत् त की जावेगा िजसने पशुओं को िनरुद्ध कराया।

यिद पशुओं का िनमार्चन (R) नहीं िकया गया है तो मिजःशेट ऐसा ूितकर िदलाने के अितिरक् त उनके िनमोर्चन का आदेश देगा और आदेश करेगा िक इस अिधनियम के अधीन उद्महणीय सब जुमार्ने और व् यय उस व् यिक्त द्वारा संदत् त िकये जायेंगे िजसने अिभमहण िकया या पशुओं को िनरुद्ध िकया।

धारा 22-अ. अमानती रकम की वापसी तथा जप् ती का िनरः तीकरण - पशुओं का पकड़ा जाना अवैध ूमािणत हो जावे तो ऐसे पकड़े पशु के संबंध में जमा अमानती रकम वापस की जावेगी यथा ऐसे पशु की अमानती रािश की जप् ती को िनरः त िकया जावेगा।

धारा 23. ूितकार की वसूली - धारा 22 में विणर्त ूितकर, जुमार्ने और व् यय, ऐसे वसूल िकया जा सकेंगे यथा मानों वे मिजःशेट द्वारा अिधरोिपत जुमार्ने हों।

अध् याय 6
शािःतयां (दण्
ड)

धारा 24. पशुओं के अिधमहण का बलपूवर्क िवरोध करने या छुड़ाने के िलये शािःत - जो कोई इस अिधनियम के अधीन अिधहरणीय पशुओं का बलपूवर्क िवरोध करेगा और जो कोई अिधमहण के पँ चात् उन् हें या तो कांजीहौस से, या उन् हें कांजीहौस को ले जा रहे या ले जाने वाले िकसी व् यिक्त से, जो पास में हो या इस अिधनियम के अधीन ूदत् त शिक्तयों के अधीन कायर् कर रहा हो, छुड़ावेगा, वह मिजःशेट के पास दोषिसद्ध होने पर छ: मास से अनािधक की कालाविध के िलये कारावास से या पांच सौ रू. से अनािधक रािश के जुमार्ने से या दोनों से दिण्डत िकया जावेगा।

धारा 25. पशुओं द्वारा अतिचार कािरत करने से हुई िरिष्ट के िलये शाि◌ःत वसूली - पशुओं द्वारा अतिचार कािरत करने से हुई िरिष्ट के िलये शाि◌ःत के िलये शाि◌ःत की वसूली, ठीक आगामी धारा के अधीन या पशुओं द्वारा िकसी भूि◌म पर अतिचार करने से हुइर् िरिष्ट के अपराध के िलये अिधरोिपत कोई जुमार्ना उन सब पशुओं या उनमें से िकसी के िवबय द्वारा वसूल िकया जा सकेगा िजनके द्वारा अतिचार िकया गया था चाहे वे अतिचार करते हुए अभिमहित िकये गये थे या नहीं, और चाहे वे अपराध के िलए दोषिसद्ध व् यिक्त की सम् पित्त हों या अतिचार िकये जाने के समय उसके भाराधीन ही हों।

धारा 26. सुअरों द्वारा भूि◌म या फसलों अथवा सावर्जिनक सड़कों को िकये गये नुकसान के िलये शाि◌ःत - सुअरों का कोई ◌ः वामी या रखवाला जो िकसी भूि◌म या भूि◌म की फसल या उपज अथवा सावर्जिनक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन् यथा उसका नुकसान करेगा अथवा करने देगा वह मिजःशेट के समक्ष दोष िसद्ध होने पर दस रु. से अनाि◌धक रािश के जुमार्ने से दिण्डत िकया जायेगा।

राज् य सरकार, शासकीय राजपऽ में अिधसूचना द्वारा िविनिदर्ं ट, िकसी ◌ः थानीय क्षेऽ के संबंध में िनदेर्श दे सकेगी िक उस धारा का पूवर्गामी भाग ऐसे पढ़ा जायेगा मानों उसमें केवल सुअरों के ◌ूित िनदेर्श के ◌ः थान पर अिधसूचना में विणर्त पशुओं के ◌ू ित िनदेर्श हो तथा "दस रुपये" शब् द के िलये "पचास रुपया" शब् द ◌ूितः थािपत कर िदये गये हों अथवा उसमें ऐसा िनदेर्श व ◌ूित ◌ः थापना दोनों हों।

धारा 26 अ. अपराध का संज्ञान - कोई भी न् यायालय कोई भी अपराध जो धारा 26 के अधीन दण् डनीय है, का संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक तथ् यों को समाि◌वं ट करते हुए िक अपराध हुआ है, िलिखत रूप में ऐसे व् यिक्त द्वारा जो अपराध से मिसत हो, या ऐसे व् यिक्त द्वारा जो भारतीय दण् ड संि◌हता की धारा 21 के अन् तगर्त लोक सेवक हो, ◌ूः तुत नहीं िकया जाता है।

धारा 27. कत् तर्व् य पालन में असफल रहने वाले कांजीहौस रखवाले पर शाि◌ःत - कोई कांजीहौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के ◌ूितकूल पशुओं का िनमोर्चन अथवा बय या पिरदान करेगा या िकन् ही पिरबद्ध पशुओं के िलये पयार्प् त खाने व जल की व् यवः था करने में लोप करेगा या इस अिधनियम द्वारा उस पर आरोिपत अन् य कत् तर्व् य में से िकसी के पालने करने में असफल रहेगा, वह िकसी अन् य शाि◌ःत के अलावा, िजसके वह दाि◌यत् वधीन हो, मिजःशेट के समक्ष दो षिसद्ध होने पर पचास रुपये से अनिधक रािश के जुमार्ने से दिण्डत िकया जायेगा, ऐसे जुमार्ने कांजीहौस रखवाले के वेतन में से कटौि◌तयों द्वारा वसूल िकये जा सकेंगे।

धारा 28. धारा 25, 26, 27, के अधीन वसूल िकये जुमार्ने का उपयोजन - धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल िकये गये सब जुमार्ने िसद्धदोष करने वाले मिजःशेट का समाधान पूवर्क रूप से सािबत, हािन या नुकसान के िलये ◌ूितकार के रूप में पूणर्त: या भागत: िविनयोिजत िकये जा सकेंगे।

अध् याय 7 ◌ू

ि◌तकर के िलये वाद

धारा 29. ◌ूितकर के िलये वाद लाने के अिधकार की व् यावृित्त - िकसी बात के यहाँ अन् तिवर्ं ट होते हुए, िकसी व् यिक्त को िजसकी सम् पित्त, फसल या भूि◌म के अन् य पैदावार को पशुओं के अतिचार से क्षित पहुँची हो या िजसे कोई आघात या चोट या व् यवधान हुआ हो िकसी सक्षम न् यायालय में ◌ूितकर के िलये वाद करने में ◌ूितिष द्ध नहीं करती है।

धारा 30. मुजरा करना - िसद्धदोष करने वाले मिजःशेट के आदेश से इस अिधनियम के अधीन ऐसे व् यिक्त की संदत् त िकसी ◌ूितकर को, ऐसे वाद में ◌ूितकर के रूप में, उसके द्वारा दावा की गई या उसे िदलाई गई िकसी रािश के ◌ूित मुजरा िकया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा.

अध् याय 8

अनुपूरक

धारा 31. कितपय कृत् यों को ◌ः थानीय ◌ूािधकारी को अन् तिरत करने की और अिधशेष ◌ूािप्तयों को ◌ः थानीय िनिध में जमा करने के िनदेर्श देने की राज् य सरकार की शिक्त - राज् य सरकार समय-समय पर शासकीय राजपऽ में अिधसूचना द्वारा-

(क) अपने ◌ूशासनाधीन राज् य क्षेऽो◌ं के िकसी भाग में, िजसमें यह अिधनियम ◌ू वृत् त हो, िकसी ◌ः थानीय अिधकारी को इस अिधनियम के अधीन राज् य सरकार या िजला मिजःशेट के सब या िकन् हीं कृत् यों का अन् तरण उस ◌ः थानीय अिधकारी की अिधकािरता के अध् यधीन ◌ः थानीय क्षेऽ के अन् तगर्त कर सकेगी।

(ख) यह िनदेर्श देने की इस अिधनियम की धारा 18 के अन् तगर्त ◌ूोद्भूत धनरािश पूणर्त: अथवा अंशत: ◌ः थानीय िनिध के ◌ूत् यय पर रखी जायेगी जो उस िजले के िकसी क्षेऽ अथवा क्षेऽो◌ं के िनिमत् त हो। परन् तु िकसी राज् य शासन या िजला दण् डािधकारी के कृत् य, जो इस अिधनियम के अन् तगर्त िकसी भी ◌ः थानीय ◌ूािधकार क्षेऽ में िविध िवः मरण िनयम, 1928 के ◌ूवृत् त होने के पूवर् िकये जा रहे थे, इस अिधनियम के ◌ूभाव में आने के कारण ऐसे सभी कृत् य ऐसे ◌ः थानीय ◌ूािधकारी को इस धारा के अधीन हः तान् तिरत मोन जावेंगे।

(म.◌ू. िवधान ब. 23, वषर् 1958 के अनुसार संशोिधत)

धारा 32. िनयम बनाने की शिक्त - राज् य शासन -

(अ) धारा 12 अ के अधीन अमानती रािश जमा करने की माऽा तथा घोषणा करने की माऽा तथा घोषणा करने की ूिबया तथा ूपऽ िनधार्िरत करने िवषयक, तथा

(ब) अमानती रािश को जमा करने का िविनयमन, संरक्षण तथा उसकी वापसी के संबंध में रीित िनधार्रण करने िवषयक।

(स) ऐसी रीित िजसके द्वारा पशुओं का व् ययन िकया जावे, के सम् बन् ध में िनयम बना सकेगी।